HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11215/2026
CNR: RJHC020665402026 | URN: CRLMB / 20731U / 2026

1. Vipul S/o Satyveer, Aged About 24 Years, R/o Khedli Veerbhan, Police Station Kotputli, District Kotputli-Behror.
2. Raj @ Rajkumar S/o Satyveer, Aged About 23 Years, R/o Khedli Veerbhan, Police Station Kotputli, District Kotputli-Behror.
3. Ravi S/o Samer Singh, Aged About 22 Years, R/o Khedli Veerbhan, Police Station Kotputli, District Kotputli-Behror.

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. S.S. Ola, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, P.P. Mr. Khubi Lal, Adv. Mr. Deshraj Saini, Adv. Mr. Dhwalaram, ASI Police Station Kotputali

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

07/08/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी एन एस एस प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को पुलिस थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **508/2025** अंतर्गत धारा **115(2), 189(2), 117(2), 126(2), 109(1) बी एन एस** में अग्रिम जमानत दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क रहा कि प्रार्थीगण निर्दोष है, वास्तव में अभियुक्त पक्ष के साथ संपत्ति संबंधी विवाद को लेकर मारपीट की गयी थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 509/2025 दर्ज करवायी गयी थी उसे बचने के लिए वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी

गयी है। दो सह अभियुक्तगण की नियमित जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, अभियुक्तगण को अकारण गिरफ्तार किया गया तो उनके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

अनुसंधान अधिकारी ने उपस्थित होकर केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष होना व अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

परिवादी हरिसिंह द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट व अब तक हुए अनुसंधान के अनुसार यह आरोप प्रकट हुआ है कि वर्तमान अभियुक्तगण तथा अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा संपत्ति संबंधी विवाद होने पर घटना स्थल पर हथियारों से लेश होकर पहुंचकर आहत राजवीर व उसकी पत्नी ममता के साथ घातक हथियारों से मारपीट की। तीनों अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है, प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित आहतगण व अन्य गवाहान के धारा 180 बी एन एस एस के बयानों में अभियुक्तगण को नामजद करते हुए उनका घटना व मारपीट में शामिल होना बताया है। आहत राजीवर व ममता दोनों के क्रमशः 5 व 4 चोटें आई है, जिनमें से एक–एक चोट गंभीर है। दोनों आहतगण को करीब चार पांच दिन अस्पताल में भर्ती रहना पडा है। आहत ममता के सिर में फैक्चर होकर गंभीर चोट आई है जिसे चिकित्सक द्वारा प्राण घातक बताया गया है।

यद्यपि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है कि परिवादी पक्ष द्वारा अपने परिचित डॉक्टर से प्रभाव डालकर यह रिपोर्ट करवायी गयी है, लेकिन यह बचाव इस स्टेज पर स्वीकार्य नहीं है।

कुल सात अभियुक्तगण इस घटना में नामजद हुए हैं जिनमें से दो अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के उपरांत नियमित जमानत स्वीकार हुई है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बकाया अनुसंधान अभी शेष है। प्रकरण में

अभियुक्तगण को मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया हो, ऐसी स्थिति अभी प्रकट नहीं हुई है।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

परिणामतः अभियुक्तगण विपुल पुत्र सत्यवीर, राज उर्फ राजकुमार पुत्र सत्यवीर व रवि पुत्र समेर सिंह की ओर से धारा 482 बी एन एस एस के तहत प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

95/Murari Lal Sharma